न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **79/20 (वाद)**

GCMS No. : 2020/00172

1. रामकृष्णदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सत्यनारायण पिता तुलसीदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पुरणदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. हरिदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

   3/1 चन्द्रप्रकाश पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/2 सुनील पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/3 यशोदा पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/4 पार्वती पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/5 गिरजा पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/6 कमलाबाई पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. दुर्गाबाई पुत्री शंकरदास जी पत्नी शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भूमलावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पुष्पादेवी पुत्री शंकरदास जी पत्नी लालुराम जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
6. बद्रीदास पिता तुलसीदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पुष्करदास पिता तुलसीदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. सीता पुत्री तुलसीदास जी पत्नी गोवर्धनदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी जोयड़ा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

9. गोदावरी पुत्री तुलसीदास जी पत्नी पूरणदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
10. कौशल्या पुत्री तुलसीदास जी पत्नी रामचन्द्र जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. ज्ञानी पुत्री तुलसीदास जी पत्नी मदनदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी बडवई, आकोला, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
12. रेखा पुत्री तुलसीदास जी पत्नी रामदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. भागवती पुत्री तुलसीदास जी पत्नी सुरेशदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 04.11.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पलानाकला, पटवार क्षेत्र पलानाकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1570, 1571, 1572, 1573, 1574 कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज है। खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी लाऔलाद फौत हो चुका है।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के पुराने आराजी नम्बर 373/2 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा होकर खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी के नाम पर रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज थी, जिससे खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी ने अपनी खातेदारी की कुलिया 7 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि को 349/– तीन सौ उनपचास रूपया के प्रतिफल में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा सम्वत् 2005 का पोस वीद 12 तारीख 27.12.1948 को हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के पिता शंकरदास [illegible] तुलसीदास तथा हमारे दादा गुणेसदास

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

को विक्रय कर मौके पर भौतिक एवं वास्तविक आधिपत्य सुपुर्द कर दिया तब से ही हमारे पिता एवं दादा अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और अपने पूरे जीवनकाल तक अपनी क्रयशुदा कृषि भूमियों का उपयोग उपभोग किया तथा हमारे पिता एवं दादा के निधनोपरान्त उक्त भूमियां विरासत में हम वारिसान को प्राप्त हुई जिस पर हम सभी वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 13 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है।

3. यह कि हमारे पिता एवं दादा अनपढ़ व्यक्ति होकर ग्रामीण परिवेश के रहने वाले थे जिस कारण उनके द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि खरीदने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की उन्हें जानकारी नही होने की वजह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए हमारे पिता एवं दादा उपरोक्त अपनी क्रयसुदा भूमि को अपने नाम पर अंकित करवा सके जिससे उक्त भूमि विक्रेता खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में अंकित रह गई और सेटलमेन्ट के दरमियान कलम संख्या 1 में वर्णित नये आराजी नम्बर बनकर नई जरीब से रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के बजाय 9 बीघा 17 बिस्वा अंकित कर दिया गया जो अंकन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विक्रेता खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी के नाम पर है। जबकि विक्रेता खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास खाकी द्वारा जमीन बेचने के बाद उनका कोई हक अधिकार शेष नही रहा था और न ही वर्तमान में है। इसलिये हम वादीगण हमारे पिता एवं दादा द्वारा खरीदी गई उक्त कुलिया कृषि भूमि को वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम पर 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 से 13 के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकर्ड हमारे नाम पर संयुक्त रूप से अंकित कराने के अधिकारी है और इसीलिए यह वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत है।

4. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि हम वादीगण के पिता व दादा ने विक्रेता खातेदार को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा उक्त कुलिया कृषि भूमि क्रय की और कब्जा प्राप्त किया तथा खरीद की दिनांक से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा हमारे पिता व दादा के निधनोपरान्त इस भूमि पर हम सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pumadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। केवलमात्र हमारे पिता/दादा अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले होने के कारण उनको उक्त रजिस्ट्री के जरिए रेवेन्यु रेकर्ड में अपना नाम अंकन कराने की जानकारी नहीं होने से उक्त क्रयसुदा भूमि उनके नाम पर दर्ज नही हो सकी और विक्रेता का नाम ही रेकर्ड में अंकित रहा। जबकि मौके पर वक्त खरीद से हमारे मौरूस व उनके पश्चात् हम वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जमीन बेचने के बाद विक्रेता का कोई हक अधिकार इस भूमि पर नही रहा, न ही वर्तमान में है। विक्रेता खातेदार लाऔलाद फौत हो चुका है। जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए खरीदी है लेकिन उक्त भूमि हमारे नाम पर अंकित नही होने से हमको भारी कठिनाईयों एवं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और भूमि सुधार के लिये ऋण इत्यादि भी नही ले पा रहे है इसलिये उक्त भूमि हम वारिसान हमारे नाम पर खातेदारी से घोषित करवा अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। सुविधा संन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में ही है।

5. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 31.07.2020 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण ने अपने खातेदारी की जमीन की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का के पास लेने गये जिसपर पटवारी हल्का ने उक्त जमीन हमारे नाम पर अंकित नही होने की बात बतायी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया की हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में विक्रेता खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास के नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को तथा 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 से 13 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने एवं विक्रेता खातेदार हरीदास पिता मनोहरदास का नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 9 एवं 11 से 13 द्वारा नकारात्मक जवाब मय काउण्टर वाद प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवादी द्वारा काउण्टर वाद में वादीगण के वाद के तथ्यो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

को ही दौहराते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा देने का निवेदन किया। जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी संवत 2077–80 में खाता संख्या 826 पर दर्ज आराजी नम्बर 1570, 1571, 1572, 1573, 1575 किता 5 कुल रकबा 1.5944 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार हरिदास पुत्र मनोहरदास हिस्सा पूर्ण जाति खाकी सा. घासा खातेदार नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपरोक्त आराजी पर कोई फसल खड़ी नहीं है। वर्तमान में उपरोक्त आराजी पर हरा चारा हो रहा है। प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब होने एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार कर लेने से तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह रामकृष्णदास पिता शंकरदास वैरागी स्वयं वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा पलानाकलां की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की खाता संख्या 796 प्रदर्श 1, मौजा पलानाकलां की भू प्रबन्ध विभाग की नकल खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 पेज 1 से 2 प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेज 1 से 4 असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर पेज 1 से 4 प्रदर्श 3 ए ग्राम पंचायत पलानाखुर्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2022 प्रदर्श 4 करवाये गये।

8. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 1 ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 796 पर दर्ज आराजी नम्बर 1570, 1571, 1572, 1573, 1575 किता 5 कुल क्षेत्रफल 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि हरीदास पिता मोहनदास खाकी के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील मावली का भू–प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त हाल आराजियात का साबिक आराजी नम्बर 373/2 था। प्रदर्श–3ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pur India
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार हरीदास द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के मौरूस शंकरदास, तुलसीदास एवं गुणेदास को विक्रय कर दिया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कथनानुसार खातेदार हरीदास पिता मोहनदास लाऔलाद फौत हो गया। प्रदर्श 4 ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र के अनुसार भी हरीदास के कोई वारिस अथवा परिवार का कोई सदस्य नही है, जो हमारे ग्रामवासीयो की एवं ग्राम पंचायत पलानाखुर्द की जानकारी में है। वर्तमान में इस समय इस परिवार का कोई वारिस नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम हिस्सेनुसार दर्ज करने हेतु राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पारित कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 को हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के मौरूस द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का क्रय करते ही उक्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के मौरूस के निधन के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 का नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9, 11 से 13 का काउण्टर वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9, 11 से 13 का काउण्टर वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला [illegible] की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 706 पर दर्ज आराजी नम्बर 1570, 1571, 1572,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

1573, 1575 किता 5 कुल क्षेत्रफल 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि हरीदास पिता मोहनदास खाकी के नाम दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/6 को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से से तथा वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 13 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. रामकृष्णदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सत्यनारायण पिता तुलसीदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पुरणदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. हरिदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

   3/1 चन्द्रप्रकाश पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/2 सुनील पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/3 यशोदा पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/4 पार्वती पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/5 गिरजा पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

   3/6 कमलाबाई पिता हरिदास वैष्णव निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. दुर्गाबाई पुत्री शंकरदास जी पत्नी शंकरदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी भूमलावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पुष्पादेवी पुत्री शंकरदास जी पत्नी लालुराम जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी नोगामा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
6. बद्रीदास पिता तुलसीदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पुष्करदास पिता तुलसीदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. सीता पुत्री तुलसीदास जी पत्नी गोवर्धनदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी जोयड़ा, तहसील भुपालसा[illegible], [illegible] चित्तौडगढ़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested

9. गोदावरी पुत्री तुलसीदास जी पत्नी पूरणदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
10. कौशल्या पुत्री तुलसीदास जी पत्नी रामचन्द्र जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. ज्ञानी पुत्री तुलसीदास जी पत्नी मदनदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी बडवई, आकोला, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
12. रेखा पुत्री तुलसीदास जी पत्नी रामदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. भागवती पुत्री तुलसीदास जी पत्नी सुरेशदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 79/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00172

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9, 11 से 13 का काउण्टर वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 796 पर दर्ज आराजी नम्बर 1570, 1571, 1572, 1573, 1575 किता 5 कुल क्षेत्रफल 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि हरीदास पिता मोहनदास खाकी के नाम दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/6 को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से से तथा वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 13 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.11.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:42 IST
Reason: SelfAttested